भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3250

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धन

3250. श्री भारत सिंह कुशवाहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 से अब तक कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत ग्वालियर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित की गई निधियों का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त आवंटित निधियों में से किए गए वास्तविक व्यय का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों की तुलना में वास्तविक और वित्तीय प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आवंटित निधियों का अधिकतम और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के संयोजन में, संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0,),

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0, (पीएमएवाई-यू 2.0,) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि, शहरी परिवहन (यूटी), आदि के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्यों की योजनाओं को अनुमोदित करती है तथा राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, रूपरेखा तैयार करना, अनुमोदन तथा क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधि जारी करती हैं।

अमृत 2.0: योजना 25 जून 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू की गई थी। मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2021 में अमृत 2.0 को सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाना है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
अमृत तथा अमृत 2.0 के अंतर्गत निधियां निर्वाचन क्षेत्र/जिला/शहरी स्थानीय निकाय-वार नहीं, बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी/स्वीकृत की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजनाओं की प्रगति के अनुसार निधियां आगे शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटल एजेंसियों को जारी करते हैं।

मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण तथा क्रियान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। अमृत के अंतर्गत, मध्य प्रदेश राज्य ने ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले) में 856.25 करोड़ रुपए की लागत की 17 परियोजनाएं शुरू की थी, जो पूर्ण की जा चुकी हैं। अमृत पोर्टल पर राज्य द्वारा अद्यतन की गई सूचना के अनुसार 802.99 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्य ने ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1,493.80 करोड़ रुपये की 49 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 38 परियोजनाओं में कार्य सौंपा जा चुका है। अमृत 2.0

पोर्टल पर राज्य द्वारा अद्यतन की गई सूचना के अनुसार इन परियोजनाओं पर अब तक 113.53 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

मिशन दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) भी मौजूद है जिसके अध्यक्ष शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव होते हैं। इसके अतिरिक्त मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक सर्वोच्च समिति मिशन की आवधिक समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के अंतर्गत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। इसके अलावा, अमृत के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध करवाई गई परियोजनाओं की प्रगति और निगरानी करने के लिए एक समर्पित अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध पर नजर रखने है।

<u>एससीएम</u>: एससीएम के तहत, ग्वालियर स्मार्ट सिटी के लिए 490 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई है और इसका उपयोग शहर द्वारा कर लिया गया है। मिशन 31.03.2025 को समाप्त हो गया है।

जैसा कि स्मार्ट शहरों द्वारा सूचित किया गया है, कुछ परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के अलग-अलग कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, कानूनी मुद्दे, विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में देरी, भूमि अधिग्रहण, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण, छोटे और मध्यम शहरों में विक्रेता और संसाधन उपलब्धता की चुनौतियां शामिल हैं।

<u>एसबीएम-यू:</u> इस मिशन के तहत, केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में केंद्रीय अंश (सीएस) निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपूर्ण मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती है, न कि वार्षिक आधार पर।

एसबीएम-यू के तहत, सीएस निधियां राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूरे प्रस्ताव के रूप में की गई मांग के आधार पर जारी की जाती है, जिन्हें संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राज्य कार्य योजना के

अनुसार शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को आगे हस्तांतरित किया जाता है। अतः मंत्रालय स्तर पर जिला-वार या निर्वाचन क्षेत्र-वार परियोजना का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और उनके यूएलबी को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र वाले शहरी क्षेत्रों में निरंतर प्रयासों और दैनिक रूप से स्थिति की निगरानी के माध्यम से परियोजनाओं और कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करना होता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय-प्रगति की समीक्षा के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों/मिशन निदेशकों के साथ वर्ष भर नियमित रूप से संपर्क किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साप्ताहिक व्यय ब्यौरे मिशन निदेशकों के साथ नियमित रूप से साझा किए जा रहे हैं ताकि उनके लक्षित व्यय को पूरा करने पर बल दिया जा सके। जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में सहयोग के लिए केंद्रीय टीम द्वारा क्षेत्रीय दौरे भी किए जा रहे हैं। राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन संबंधी परामर्शिकाएं/दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए हैं और नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से इनका अनुपालन किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा खरीद में उपयोग के लिए मॉडल प्रस्ताव अनुरोध और मॉडल रियायत समझौते तैयार और अधिसूचित किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में **)**

आवंटित निधि	जारी निधि			
एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिनांक 27-2-2026 तक)
2200.20	0.00	89.17	347.59	54.50

पीएमएवाई-यू: 'भूमि' और कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवासन संबंधी योजनाएं राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय **25.06.2015** से पीएमएवाई-यू के तहत देशभर के पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के मकानों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया जिसका उद्देश्य देशभर के शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराये लेने के लिए चार घटकों, अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। पीएमएवाई-यू 2.0 के दिशानिर्देशों और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए वर्ष-वार 2022-23 से अब तक जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा:

ब्यौरा		उपलब्धियां
केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता राशि (करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 2022-23	93.30
	वित्त वर्ष 2023-24	25.37
	वित्त वर्ष 2024-25	3.52
	वित्त वर्ष 2025-26	7.68
उपयोग की गई केंद्रीय सहायता* (करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 2022-23	107.65
	वित्त वर्ष 2023-24	19.30
	वित्त वर्ष 2024-25	13.43
	वित्त वर्ष 2025-26	10.64

* इसमें पिछले वर्षों में जारी निधियों में से इस वर्ष उपयोग की गई केंद्रीय सहायता भी शामिल है।

<u>डीएवाई-एनयूएलएम</u>: डीएवाई -एनयूएलएम के तहत निधियाँ सीधे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। केंद्रीय स्तर पर जिला-वार डेटा नहीं रखा जाता है। हालांकि, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 30 सितंबर, 2024 तक डीएवाई -एनयूएलएम को कार्यान्वित कर रहा था।

प्रधानमंत्री स्वनिधि: यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ऋण राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में संवितरित की जाती है।

शहरी परिवहन: पूर्ववर्ती यूटीपीसीबी (अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग) योजना **की शर्तों के अनुसार** 'मेट्रो एवं गैर-मेट्रो परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना एवं क्षमता निर्माण' **उप-योजना के अंतर्गत** व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) **तैयार करने के लिए** ग्वालियर को अब तक 66,00,000/- रू. की कुल निधि जारी की गई है **ब्यौरा इस प्रकार हैं:**

सीएमपी की लागत (रुपये में)	**एएआर की लागत (रुपये में)**	**कुल लागत (सीएमपी+एएआर) (रुपये में)**	**जारी की गई 10% मोबिलाइजेशन अग्रिम (पहली किस्त) (रुपये में)**	**दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई कुल लागत का 45% (रुपये में)**
85,00,000/-	35,00,000/-	1,20,00,000/-	21.06.2024 को 12,00,000/-	03.06.2025 को 54,00,000/-

पीएम-ई-बस सेवा: योजना के तहत ग्वालियर शहर के लिए कुल 15.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 12.77 करोड़ रुपए की मूल स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृत निधियों और जारी की गई मूल स्वीकृति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

शहर	स्वीकृत राशि			जारी की गई मूल स्वीकृति		
	बीटीएम*	सिविल**	कुल	बीटीएम	सिविल	कुल
ग्वालियर	10.04	5.45	15.49	10.04	2.73	12.77

(₹ करोड़ में)

*बीटीएम: बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर
**सिविल: सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर

योजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए, योजना के तहत गठित परियोजना निगरानी और मूल्यांकन समिति (पीएमईसी) और केंद्रीय संचालन और मंजूरी समिति (सीएसएससी) योजना की

प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती हैं। इसके अलावा, योजना की प्रगति की निगरानी करने और राज्यों/शहरों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए राज्य/शहर स्तर की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

*****